राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1147 SEIAA/2022
Date: 26/8/22

प्रति,

मेसर्स लाईफ केयर लॉजिस्टिक प्रा.लि.,
निदेशक, श्री वैभव राय
निवासी 37–38, तहसील सावेर,
जिला इंदौर (म.प्र.)

विषयः प्रकरण कमांक **9039/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स लाईफ केयर लॉजिस्टिक प्रा.लि., निदेशक, श्री वैभव राय, निवासी 37–38, तहसील सावेर, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा डेवलमेंट कमर्शियल **वेयरहाउस, ग्राम पिरकराडिया, तहसील सावेर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 742वी बैठक दिनांक 18.08.2022 में लिये निर्णय अनुसार कार्यवाही बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में 740वीं दिनांक 30.07.2022 के निर्णय के परिपेक्ष्य में, निम्न जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, परियोजना प्रस्तावक के पत्र क्र. 1351 दिनांक 08.08.2022 एवं ADS के माध्यम से जानकारी भेजने हेतु निर्देश दिये गये थे।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रकरण पर्यावरण उल्लंघन के अंतर्गत विचाराधीन हैं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रचलन प्रक्रिया के अधीन अर्थदण्ड का निर्धारण करने हेतु निर्माण की वास्तविक लागत ज्ञात की जाना आवश्यक है। प्राधिकरण द्वारा चाही गई कम्पनी की बेलेन्स शीट/वित्तीय पत्रक, आयकर रिर्टन एवं जीएसटी रिटर्न वैधानिक रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, आयकर विभाग एवं जीएसटी आयुक्त को प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य हैं। चूँकि कम्पनी ने प्रोजेक्ट पर कार्य 2014 के आस–पास प्रारंभ कर दिया था और पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन फरवरी 2022 में किया है और वर्ष 2022 के पूर्व की जानकारी संबंधित विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः जानकारी प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक के पक्ष को जानने के लिये प्राधिकरण की आगामी बैठक में उक्त जानकारी के साथ बुलाया जावे, जिससे प्रकरण में निर्णय लिया जा सकें।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन जानकारी दिनांक 16.08.2022 को जानकारी प्रेषित की गई थी। उक्त जानकारी Life Care Logistic द्वारा निम्नानुसार दी गई–

- *Total details of projects (with valuation certificate) and extracts of balance sheet for the year ended 31st March 2021.*
- *GST and ITR of the Company.*
- *Details of amount spent on the proposed warehouse belogining to the company M/s Life Care Logistice Pvt. Ltd.*

उपरोक्त Project Details Annexure – 1 का अधिकांश पार्ट पठनीय नहीं है। इसके तहत प्रस्तावित वेयर हाउस पर रू. 9.95 करोड़ का व्यय पुनः सूचित किया गया है, साथ ही PMKG Techno Management Consultancy का रिपोर्ट भी पुनः प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण के निर्देश पर परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधी श्री समीर खेडकर एवं अपने वित्तीय सलाहकार एवं तकनीकी सलाहकार के साथ उपस्थित हुये।

प्राधिकरण द्वारा उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा भेजे गये ADS पठनीय नहीं है, और पूर्व में बतायी लागत के व्यय को पुनः भेजा गया है। बैंको से प्राप्त ऋण का विवरण भी नहीं प्रस्तुत किया है।

परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी ने बताया कि हमारे द्वारा ADS के माध्यम से भेजी गई जानकारी की पठनीय प्रिटेंड प्रति भी लाई गयी है, उसे जमा करना चाहता हुँ। प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रति जमा करने की अनुमति, अपठनीय ADS के आधार पर प्रदान की गई।

प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी को बताया गया कि यह प्रकरण पर्यावरण उल्लंघन के तहत निर्णय हेतु विचाराधीन है, जो कि मानक प्रचलन प्रक्रिया के तहत सुना जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कास्ट में से हुए निवेश के आधार पर दांडिक शुल्क निर्धारित करना आवश्यक है। अतएंव आप अपने वित्तीय दस्तावेज़ों के आधार पर वास्तविक व्यय प्राधिकरण को सूचित करें, इस हेतु आपको आगामी बैठक दिनांक तक तैयार करने का समय दिया जा रहा है। कृपया परियोजना पर की गई वास्तविक व्यय की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध करावें ताकि प्रकरण में निर्णय लिया जा सके।

प्राधिकरण के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि चाही जानकारी परिवेश पोर्टल पर शीघ्रताशीघ्र अपलोड करें, ताकि प्रकरण में निर्णय लिया जा सकें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव